"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 209] रायपुर, शनिवार, दिनांक 31 जुलाई 2010—श्रावण 9, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2010

अधिसूचना

क्रमांक 9694/डी-1876/21-ब/छ. ग./2010.—स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, (1985 का संख्यांक 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, छ. ग. उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5161/डी-1814/21-ब/छ. ग./2009 रायपुर, दिनांक 30-07-2009 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची के सरल क्रमांक 7 में,—

अनुसूची के कालम (2) में उल्लेखित अधिकारी के स्थान पर, कालम (3) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त अनुसूची के कालम (4) में उल्लेखित स्थान के लिये, विशेष न्यायाधीश पदस्थ किया जाता है, अर्थात् :—

क्र. (1)	विद्यमान पीठासीन अधिकारी का नाम (2)	पदस्थ/नवपदस्थ न्यायिक अधिकारी (3)	जिले का नाम (4)
7.	श्री महेन्द्र पाल सिंघल, सत्र न्यायाधीश कबीरधाम (कवर्धा)	श्री शिवमंगल पांडे, सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (कवर्धा)	कबीरधाम (कवर्धा)

Raipur, the 31st July 2010

NOTIFICATION

F. No. 9694/D-1876/XXI-B/C.G./10.—In exercise of the powers conferred by section 2 of section 36 of the Narcotic Durgs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), and with the concurrence of the Hon'ble Chief Justic of High Court of Chhattisgarh, the State Government hereby, makes the following further amendment in this departments notification No. 5161/D-1814/XXI-B/C.G./2009 Raipur dated 30-07-2009, namely :—

AMENDMENT

In the serial No. 7 of schedule of the said Notification,—

for the Officer mentioned (2) of the schedule, the Officer mentioned in column (3) shall be posted at the place mentioned in column (4) of the said schedule, namely :—

Sl. No. (1)	Name of the existing Presiding Officer (2)	Newly posted Judicial Officer (3)	Name of District (4)
7.	Shri Mahendra Pal Singhal, Sessions Judge, Kabeerdham (Kaverdha)	Shri Shivmangal Panday Sessions Judge, Kabeerdham (Kaverdha)	Kabeerdham (Kaverdha)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.